विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	उद्यान विभाग
तारांकित प्रश्न संख्या	5206
उत्तर की तिथि	10／08／2022
विषय	कार्टन पर जी०एस०टी०
प्रश्नकर्त्ता का नाम	श्री मोहन लाल ब्राक्टा (रोहड़ू)
सम्बन्धित मंत्री	जल शक्ति मंत्री।

प्रश्न	उत्तर
(क) सेब के कार्टन पर जी०एस०टी० कब से लागू किया गया तथा इसे सरकार द्वारा कब व कितना बढ़ाया गया; और	(क) व (ख) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख) यह सत्य है कि सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जी०एस०टी० की दरों को कम कर दिया जाएगा; यदि हां, तो ब्यौरा दें?	

श्री मोहन लाल ब्राक्टा (रोहड़ू) द्वारा ''कार्टन पर जी०एस०टी०'' बारे पूछे गए तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्याः 5206 का उत्तर।

(क) केन्द्र सरकार द्वारा कार्टन की खरीद पर दिनांक 01.07.2017 से 12 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० लागू किया गया तथा इसे दिनांक 30.09.2021 तक इसी दर से वसूला गया। दिनांक 01.10.2021 से केन्द्र सरकार द्वारा जी०एस०टी० 12 प्रतिशत से बढाकर 18 प्रतिशत किया गया है अर्थात जी०एस०टी० में दिनांक 01.10.2021 से 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई।

(ख) जहां तक जी०एस०टी० की दरों को कम करने का प्रश्न है, इस संदर्भ में निर्णय केवल केन्द्र सरकार द्वारा ही लिया जाता है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा फल उत्पादकों को राहत देने हेतु दिनांक 01.04.2022 के बाद एच०पी०एम०सी० या खुले बाजार से खरीदे गए पैकेजिंग सामग्री पर जी०एस०टी० के दामों में 6 प्रतिशत रियायत देने का निर्णय लिया गया है। रियायत प्राप्त करने हेतु बागवान को उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निम्नलिखित औपचारिकताओं के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगाः—

1. कार्टन और ट्रे का जी०एस०टी० भुगतान बिल।
2. बिक्री प्रमाण (फॉर्म आर/ट्रांसपोर्ट जीआर/मार्केट फीस/बीमा कॉपी आदि।)
3. आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण।

*****